द्वारा–ईमेल

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, सहारनपुर।
पत्रांक 9894/क्षे0प्र0/जी–स0पुर/नीलामी/2019 दिनांकः–10.12.2019

–::नीलामी सूचना::–

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर के विभिन्न बस स्टेशन पर रिक्त पडे ठेकों की नीलामी मुख्यालय द्वारा निर्धारित माह की 23 तारीख को टैण्डर प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, सहारनपुर में निम्नवत करायी जानी प्रस्तावित हैः–

1–टैण्डर प्राप्त किये जाने की तिथि 10.12.2019 से 21.11.2019

2–टैण्डर भर कर डाले जाने की तिथि 21.12.2019 को 14.00 बजे तक

3–टैण्डर खोले जाने की तिथि व समय 23.12.2019 को 15.00 बजे

नीलाम हेतु प्रस्तावित ठेकें

बस स्टेशन	स्टाल/ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य	आरक्षित वर्ग का नाम	बस स्टे0	स्टाल/ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य	आरक्षित वर्ग का नाम
खतौली	जलपान गृह	7000.00	दिव्यांगजनों हेतु	खतौली	जनरल मर्चेंट	3000.00	जन सामान्य हेतु
मु0नगर	मोबाइल गेलरी	6000.00	दिव्यांगजनों हेतु	रेलवे रोड, बस स्टे0 सहारनपुर	फल स्टाल	6000.00	दिव्यांगजनों हेतु
पुरकाजी	जनरल मर्चेंट	4000.00	दिव्यांगजनों हेतु	जलालबाद	फल स्टाल	2500.00	दिव्यांगजनों हेतु
–––	–––	–––	–––––	जलालाबाद	जलपान गृह	3500.00	जन सामान्य हेतु

निविदादाता को बन्द लिफाफे में निविदा दरों के तीन माह के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट भी प्रतिभूति राशि के रूप में तथा रूपये 10000.00 अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफट भी धरोहर राशि के रूप मे अनिवार्यतः संलग्न करना होगा जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम, सहारनपुर के पक्ष में देय होगा। धरोहर राशि के बिना उसकी निविदा अमान्य होगी तथा समिति द्वारा उपयुक्त पायी गयी निविदा के सापेक्ष निविदादाता के डिफाल्ट होने पर यह अनिवार्यतः जब्त कर ली जायेगी। टैण्डर फार्म रू0 20.00 के नकद भुगतान पर उपरोक्त विवरण के अनुसार किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, सहारनपुर से प्राप्त किये जा सकते है। सभी ठेकों की अवधि 03 वर्ष होगी जिसमे 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष किराया वृद्वि होगी। किसी भी टैण्डर/नीलामी को अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी मे निहित रहेगा। जी0एस0टी0 एवं अन्य सभी कर ठेकेदार को नियमानुसार पृथक से देने होगें। निविदादाता को टैण्डर फार्म के साथ आधार कार्ड एवं सक्षम पुलिस अधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। टैण्डरदाता को इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वह भारत वर्ष मे कही भी ब्लैक लिस्ट (काली सूची) मे नही डाला गया है। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित स्टाल/ठेकों के सम्बन्ध मे यह अनिवार्य है कि लाभार्थी सम्बन्धित जनपद के निवासी हो एवं जनपद के जिलाधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक की समिति द्वारा उन्हे चिन्हित किया गया हो। दिव्यांगजनों हेतु स्टाल/ठेकों का आबंटन अधिकतम बोलीदाता के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्त स्टाल/ठेकों के लिए बस स्टेशन सहारनपुर पर 6×8, मु0नगर बस स्टेशन पर 6×12, पुरकाजी बस स्टेशन पर 10×10, खतोली बस स्टेशन पर 10×10 एवं जलालाबाद बस स्टेशन पर 6×8 का स्थान

शेष पृष्ठ––––02 पर

Downloaded From www.upsrtc.com

उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर ठेकेदार द्वारा स्वम खोखा/अस्थाई निर्माण कराकर स्टाल संचालित की जायेगी।

किसी भी टैण्डर/नीलामी को अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा। शेष नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहारनपुर मे आकर देखी जा सकती है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
सहारनपुर

प्रतिलिपिः–

1–प्रधान प्रबन्धक (वाणिज्य एवं विपणन),महोदय परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2–सिटी मजिस्ट्रेट महोदय सहारनपुर एवं नगर आयुक्त,नगर निगम सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3–प्रधान प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक(एम0आई0एस0)महोदय, को निगम की टैण्डर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
4–जनसूचना अधिकारी,परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को समाचार पत्र मे प्रकाशनार्थ।
5–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम।
6–सेवा प्रबन्धक,उ0प्र0 परिवहन निगम सहारनपुर/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) सहारनपुर।
7–समस्त स0क्षे0प्र0/स्टेशन अधीक्षक/कार्यशाला प्रभारी/नोटिस बोर्ड ईकाई सहारनपुर क्षेत्र।
8–नोटिस बोर्ड क्षे0प्र0 कार्यालय सहारनपुर/बस स्टेशन पुरकाजी/बस स्टेशन जलालाबाद द्वारा–सम्बनिधत स0क्षे0प्र0।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
सहारनपुर

Downloaded From www.upsrtc.com